



2026: AHC: 128256

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 24058 सन् 2026

श्रीमति प्रीति एवं 1 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

:- राजेश कुमार

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:- सी०एस०सी०

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने तथा संरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि हाईस्कूल अंकपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 1 तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 दोनों बालिग हैं। आर्य समाज संस्थान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र भी संलग्न किया गया है।
4. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 क्रि.एल.जे 3309 में, अंतर-जातीय विवाह करने वाले युवक और युवती के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न व्यवहार के एक मामले का निस्तारण करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने संपूर्ण देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“ यह एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश है और जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तब वह अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता/सकती है। यदि लड़के अथवा लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय अथवा अंतर्धार्मिक विवाह को अनुमोदित नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यही कर सकते हैं कि वे अपने पुत्र अथवा पुत्री से सामाजिक संबंध विच्छेद कर लें, , किंतु वे धमकियां नहीं दे सकते अथवा हिंसा के कृत्यों को कारित या उकसा नहीं सकते हैं और न ही ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकते हैं जो ऐसा अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है। अतः हम निर्देश देते हैं कि देशभर के प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो बालिग है, किसी ऐसी महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता/करती है जो बालिग है, तो उस युगल/जोड़े को किसी के भी द्वारा प्रताड़ित न किया जाए और न ही उन्हें धमकियों या हिंसा के कृत्यों का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकियां देता है या प्रताड़ित करता है या स्वयं अथवा अपने उकसावे पर हिंसा के कृत्य कारित करता है, पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर उसे विधि के अनुसार उत्तरदायी ठहराया जाए तथा उसके विरुद्ध विधि में उपबंधित कठोर कार्यवाही भी की जाए। ”

5. भगवान दास बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), (2011) 6 एस०सी०सी० 396 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 28 तथा 29 में निम्नवत् धारण किया है:

“28 अक्सर प्रेम में पड़ने वाले युवा युगलों को कंगारू अदालतों के क्रोध से बचने के लिए पुलिस लाइनों या संरक्षण गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि "सम्मान हत्या" में कुछ भी "सम्मान" नहीं है, और ये सामंती मानसिकता वाले कट्टर व्यक्तियों द्वारा किए गए बर्बर और नृशंस हत्याकाण्ड के अलावा कुछ नहीं हैं। हमारी राय में, सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्याएं, चाहे किसी भी कारण से हों, मृत्युदंड के योग्य "दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी में आती हैं। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं का उन्मूलन कर दिया जाए जो हमारे राष्ट्र पर एक कलंक हैं। ऐसा अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए एक दंडात्मक भय के रूप में आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"ऑनर किलिंग" कारित करने की योजना बनाने वाले सभी व्यक्तियों को यह जान लेना चाहिए कि फाँसी का फंदा उनका इंतज़ार कर रहा है।"

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों तथा निर्देशों का उत्तर प्रदेश राज्य में अनुपालन किया जा रहा है तथा इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह याचियों की मात्र एक आशंका है कि निजी प्रत्यर्थागण हिंसा का कोई कृत्य कारित कर सकते हैं और या याचियों को प्रताड़ित कर सकते हैं।
7. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है कि याचिकाकर्तागण, विवाहित दम्पति होने के नाते, साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी। यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जो प्रकरण का परीक्षण करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
8. याचिकाकर्तागण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवाह का पंजीकरण आज से दो माह के भीतर, उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार कराएँगे तथा यदि याचिकाकर्तागण निर्धारित अवधि के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं, तो यहाँ प्रदान किया गया संरक्षण स्वतः प्रभावहीन हो जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विवाह की वैधता और/अथवा याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए उनके विवाह प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता अथवा याचियों की सही आयु का न्यायनिर्णयन नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार संस्थित किसी कार्यवाही अथवा कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करने के लिए पारित नहीं किया गया है।
10. चूँकि याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण में किया जा रहा है, इससे व्यथित किसी भी व्यक्ति को, यदि यह आदेश तथ्यों के दमन अथवा छिपाव या मिथ्या अभिकथनों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो इसके प्रत्याहार हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. तथापि, यदि पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष कोई विवेचना लंबित है, तो यह आदेश उसमें बाधक नहीं होगा।

12. यदि याचिकाकर्ता द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 की अनुपस्थिति में यह आदेश पारित किया गया है, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 को इस आदेश के प्रत्याहार की प्रार्थना करते हुए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026

सुषमा

Translated Version, Not For Legal Use.